संख्या:- 732 /पांच-5-2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय:- COVID-19 (कोरोना वायरस) से संक्रमित व्यक्ति की सूचना मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 पर देने एवं उन सन्दर्भों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

महोदय,

COVID-19 (कोरोना वायरस) को फैलने से रोकने के लिए मा०मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जन शिकायतों से सम्बन्धित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 पर कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों की सूचना देने पर अग्रेतर कार्यवाही के लिए एक नवीन सुविधा निर्मित की गई है । यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि वह COVID-19 वायरस से संक्रमित हो सकता है, तो उसके द्वारा स्वयं अथवा उसके निकट सम्बन्धी द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल करके सूचना दी जा सकेगी तथा संक्रमित व्यक्ति की जांच कराए जाने की मांग की जा सकेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर उक्त प्रकार से प्राप्त कोविड-19 से संबंधित समस्त संदर्भ IGRS प्रणाली में दर्ज होंगे। यह सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की आई.डी. पर "COVID-19 इनबॉक्स" मेन्यू में प्रदर्शित होंगे तथा इसकी सूचना आवेदक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को SMS द्वारा प्राप्त होगी। सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त सन्दर्भों का समुचित परीक्षण कर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) एवं नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) की गाइडलाइन के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अधिकतम 03 दिवसों में कृत कार्यवाही की आख्या पोर्टल पर अंकित/अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जनपद स्तरीय अनुश्रवण हेतु इन सन्दर्भों से सम्बन्धित रिपोर्ट जिलाधिकारी की आई.डी. पर भी प्रदर्शित होंगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

भवदीय,
26.3.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 732 (1)/ पांच-5-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
5. राज्य सर्विलान्स अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सन्दर्भों पर की गई कार्यवाही का अपने स्तर से समुचित पर्यवेक्षण करें एवं स्थिति से शासन को प्रतिदिन अवगत कराएं।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव

vk sir.go-com4